



**2026:AHC:34203-DB**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **30101/2025**

मोहम्मद रय्यान एवं अन्य .....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य .....प्रतिवादी(गण)

---

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: आरफ खान, लिहाजुर रहमान खान

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता), सोनाक्षी अरोड़ा

---

**न्यायालय संख्या - 45**

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान सरकारी अधिवक्ता, सुश्री सोनाक्षी अरोड़ा के सहयोगी अधिवक्ता श्री यश राज वर्मा (प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता) को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि कुछ गलतफहमी के कारण प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हालांकि, बाद में परिवार के सम्मानित सदस्यों

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और समाज के हस्तक्षेप से, पक्षों के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण और वास्तविक रूप से सुलझा लिया गया है और अब उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इसके बाद पक्षों के बीच हुए समझौता ज्ञापन दिनांक 16.12.2025 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न की गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच हुए उक्त समझौते के आलोक में और उनके बीच सामंजस्यपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से, प्रश्नगत एफ.आई.आर. को रद्द कर दिया जाए।
4. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित हुए और उन्होंने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है। उक्त हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 2 ही एकमात्र पीड़ित व्यक्ति है और आगे कहा गया है कि पक्षों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से और किसी भी पक्ष के किसी दबाव, बल, प्रलोभन या जबरदस्ती के बिना वर्तमान मुकदमेबाजी को समाप्त करने का निर्णय लिया है और यदि प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है।
5. विद्वान सरकारी अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
6. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों में पारित निर्णयों के प्रति अनभिज्ञ नहीं है :

(i) बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2003) 4 एससीसी 675.

(ii) निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, (2008) 9 एससीसी 677.

(iii) मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य, (2008) 16 एससीसी 1.

(iv) ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303.

(v) नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466.

(vi) परबतभाई अहीर @ परबतभाई बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एससीसी 641.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(vii) मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण, (2019) 5 एससीसी 688.

(viii) के. भारती देवी और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य, 2024 एससीसी आनलाइन एससी 2695.

जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि कुछ संज्ञेय और गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षों के बीच समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा 'सैफुल्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य' [2013 (83) एससीसी 278] में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें उपरोक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून की विस्तार से व्याख्या की गई है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर भी विचार करते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि वर्तमान मामले की कार्यवाही को लंबा खींचने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।
8. तदनुसार, पुलिस स्टेशन- सिविल लाइंस, जिला- अलीगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 517 वर्ष 2025, दिनांक 18.10.2025, जो भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191(2), 304, 109, 115(2), 316(2), 352, 351(2) के तहत है, को रद्द किया जाता है।
9. तत्काल रिट याचिका तदनुसार स्वीकार की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

फरवरी 16, 2026

के.एस.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"